/

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिटपुरी वनाम राजाराम

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 61/2018

निर्णय दिनाँक :- 28/2/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिपरोडा की आ.ख.न. 1429 कुल रकबा 0.20 किस्म जमीन गैर मु० मरघट में से 0.01 रकबे पर श्री राजाराम पुत्र रामचरण जाति विरोडा ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का .... द्वारा दिनाँक 14/2/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राजाराम पुत्र रामचरण जाटव निवासी पिपरोडा को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी पुत्र राजसिंह उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1429 रकबा 0.20 में से 0.01 रकबे किस्म गैर मु० मरघट है जो नियमन योग्य नहीं है लिहाजा अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 27 Paise 50 गुणा 14/- चौदह रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिटपुरी भू.अ.निरी. टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

/

तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)